[Shri H. N. Mukerjee]

ment (Posts and Telegraphs) relating to Expansion of Srinagar Telephone Exchange.

12.2 hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDU-LED TRIBES

REPORTS AND MINUTES

. SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar); I beg to lay on the Table the tollowing Reports and Minutes of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—

- Report of the Committee on its visit to the Headquarters Office of the Punjab National Bank, Parliament Street, New Delhi in September, 1975.
- (2) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Bhobal Jabalpur. Varanasi, Lucknow and Hardwar in December, 1975.
- (3) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Bombay, Aurarga bad and Manipal in December, 1975.
- (4) Report of Study Tour of Study Group I of the Committee on its visit to Badli and Singhu villages of the Union Ferritory of Delhi and Industrial Training Institute, Pusa, New Delhi in February, 1976.
- (5) Report of Study Tour of Study Group II of the Committee on its visit to Chandpur and Chatesar villages of the Union Territory of Delhi and Industrial Training Institute, Curzon Road and Arab-ki-Sarai in February, 1976.
- (6) Report of the Committee on its visit to certain DDA Colonies and a Girls' Hostel in the

Union Territory of Delhi . March, 1976.

(7) Minutes of the First to Fortythird, Forty-ninth, Fortyfourth and Fifty-fifth sittings of the Committee.

12.03 hrs.

BETWA RIVER BOARD BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI KEDAR NATH SINGH): I beg to move*

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Urtar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

As the Hon'hie Members are, perhaps aware the River Betwa is a major fributory of the Yamuna flowing through the States of Aladhya Pradesh and Uttar Pradesh. The Betwa Canal system together with Parichha were was constructed in 1885 the Dhukwan dam constructed in 1909, the Matatila dam constructed in 1958 and these together with a few o her small schemes utilise less than 1/3rd of the total water resources of the Betwa.

The Bundelkhand region of Uttar Pradesh and the districts of Guna, Shivpuri and Datia of Manhya Pradesh bordering the Bundelkhand region, are drought-stricken areas. The existing storages provide meagre irrigation facilities to these areas and are unable to supply water to large pockets in this region.

The Rajghat site on the Betwa on the Border of U.P. and M.P., provides

^{*}Moved with the recommendation of the President

excellent conditions for a large storage to meet the irrigation demands of these needy areas. The question of sharing of the waters of the Betwa in the interest of the people of the region received considerable attention during the course of the last three years by the two State Governments and it was in August, 1972 that an agreement was reached between the Chief Ministers of the two States to construct a storage dam at Rajghat with live capacity of 62 TMC (Thousand million cubic ft.). After allowing for 9 TMC for the committed use downstream, the balance waters will be shared equally by the two States. The total quantity available at Raighat is 115 TMC. It was agreed that 53 TMC will be utilised by M.P. upstream of Rajghat and the balance quantity of 62 TMC will be available at Rajghat for being shared between M.P. and U.P. as indicated above.

The Rajghat Dam will be a joint venture of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh Governments, and the estimated cost of the dam is Rs. 72.56 crores.

The Rajghat Dam will have a 1 aximum height of 28 metres in the earthen portion which will be about 10 KM long and 43 metres high in the masonry portion which will be 550 metres long. The reservoir will involve submergence of 214 sq. KM comprising 111 sq KM in 26 villages in U.P. with a population of over 10,600 and 103 sq. KM in 22 villages in M.P. with a population of over 8000.

The share of U.P. in the Rajghat waters will be utilised in extending irrigation under the Betwa Canal system and that of M.P. will be used in extending irrigation under the existing Bhander Canal system and in providing irrigation to the areas downstream of the dam. This scheme will, on the whole, provide annual irrigation to an area of about 3 lakh hectares.

The Rajghat project will usher in a new era in the history of this tackward region and be a model of an inter-State understanding leading to optimum utilisation of the available water resources of an inter-State river for the mutual benefits of the vast population of this region.

The construction of the dam was inaugurated by the Prime Minister in April, 1973. Subsequently M.P. had some reservations concerning the project features. A supplemental agreement was entered into between M.P. and U.P. on 9th December 1973. this agreement, the two Chief Ministers agreed to the setting up of a Central Control Board under chairmanship of the Union Minister of Irrigation and Power for the speedy, smooth and efficient execution of various inter-State projects of UP, and M.P. including the Rajghat project. They also agreed that the construction of the Rajghat Dam should be entrusted to a project authority to be appointed by the Control Board.

A peculiar feature of the Rajghat dam is that the dam site is located partly in U.P. and partly in M.P. order therefore that the work of masonry dam and earthen dam proceeds according to a pre-determined schedule and that the project work does not get setback in implementation, the work of the entire dam, including rehabilitation, has to be carried out by one agency. No agreement could be reached on any one State implementing the project because both the States wanted their officers and staff to be associated with the implementation of the work. Ultimately, the States agreed to entrust the execution of the project to an independent High Power Board which would utilise in equal measure the services of both the States and agreed to finance the project in proportion to the benefit's accruing to them. This High Power Board would be presided over by the Un.on Minister in charge of irrigation. Such a Board could not be constituted by an executive order because of the special conditions obtaining in the location of the Rajghat dam. Several alternatives were considered in consultation with the Law Ministry and also in consultation with the State Governments. Although water is a State subject-

[Shri Kedar Nath Singh]

vide Entry 17 of the State List-Parliament is competent to provide for legislation and development of inter-State rivers to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest (vide entry 56 of the Union List). Besides, under Entry 44 of the Union List, the Parliament is competent in respect of incorporation, regulation and winding up of Corporrations with objectives not confined to one State. Both the States are, therefore, anxious that the execution of the project should be entrusted to an independent High Power Board. It therefore, proposed to undertake a fresh legislation under Entry 56 of List I in respect of Rajghat Project.

Detailed consideration of the legal implications in consultation with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs preceded the preparation of a draft Bill to provide for a Board to of the undertake the construction Rajghat Dam. The finalisation of the draft Bill, however, took time because of differences on various technical and engineering aspects as well as in regard to the scope of the functions of the Board. It was possible to persuada the Chief Ministers of the two States in August, 1975 to resolve their differences.

Hon. Members will see from provisions of the Bill that the Board will be a Tripartite Board presided over by the Union Minister of Agriculture and Irrigation and include the Chief Ministers of M.P. and U.P. as well as the Ministers of the two States in charge of Finance and Irrigation. The main functions and powers of the Board shall be to carry out surveys and investigations, prepare detailed project reports, land estimates, allocation of cost amongst the Governments of M.P. and U.P. drawing of specifications, construction of the Raighat Dam. laying down rules of operation and perform any other related functions.

The cost of the Raighat Dam shall be shared between the two State Governments. The Central Government may have to bear only a nominal cost of DA and TA of the Members of the Betwa River Board and the Executive Committee.

Board Bill

There will be an Executive Committee to assist the Board. The Chairman of the Executive Committee would be a Central Government Officer and the Committee's composition would be left to be prescribed by rules framed under the Act. The intention, however, is that till the completion of the project, the Secretary of Additional Secretary in the Ministry of Agriculture and Irrigation would preside over the Committee and the Committee will include Chairman, CWC, Joint Secretary in the Department of Expenditure of Finance Ministry, the Secretary incharge of Finance and Irrigation Departments of the two States besides their senior engineers. A smaller Committee may, however, be constituted after the project works are completed to look after operation and maintenance Chief Engineer, the Adviser and the Secretary of the Board will be appointed by the Central Government after consulting the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. As far as possible, it will be ensured that officers from the same state do not hold the posts of Chief Engineer and Secretary at the same time. I would like to draw attention in particular to clause 18 which provides that if any dispute arises between the Board and the Government of Madhya Pradesh or Uttar Pradesh or both regarding any matter covered by this Act or touching or arising out of it, it shall be referred to the Central Government and the decision of the Central Government shall be final and binding on the Board and the said Governments.

The Central Government is also empowered to make rules for carrying out the purposes of the Act and approve of the regulations framed by the Board to regulate its business. A Betwa River Board Fund is also provided in clause 13 which would be built up out of funds provided by the two State Governments. 4 would like to end my remarks with an expression of my deep sense of appreciation of the spirit of cooperation displayed by the 'wo State Governments. The proposed Rajghat Dam would provide water to an area where it would prove to be a boon to the people and contribute to development of irrigation and eventually bring about prosperity to the region I am sure, the hon. Members will join me in wishing the two States all the success in bringing to fruition the objectives behind the proposed protect.

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Raighat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Utlar Pradesh of a dam on the Betwa river at Raighat and for the regulation of such reservoir, by taken into consideration."

श्री कमला मिश्र 'मजुकर' (नेसन्या) ग्रष्ट्यक्ष जी, मैं इस बिल का स्वागत परना है क्योंकि जब दो राज्य आपस में मिल कर ममस्यामा को मुलझा लेने हे मार उन वे बारे म एग्रीसट हा जाना है तो यह युशी की बान है कि श्रीर स्वागत याग्य है । मझे दम बान की भी खभी है कि नय जो सिचार मली आए ह उन क नेतृत्व भ पह सारा काम हुया है लेकिन इस गम्बन्ध म मे यह भी यहना चाहना ह कि जब मध्य प्रदेश भ्रांग उन्नर प्रदेश इस समस्या को सुनझाने के लिए एक मत हो गं है श्रीर राजधाट डेम पर नर्दा । पानी के बटवारे की याजना लाग हो जाएगी. वैसे ही और बहत भारे राज्य है जिन वे बीच म नदियों े पानी व बटवारे के झगड़े पडे हुए है भ्रोर इस तरह मे राज्यों वे बीच मे पानी का विवाद बना हम्रा है जैसे कि बिहार स्रौर उत्तर प्रदेश के बीच मे है, बिहार भीर मध्य प्रदेश के बीच में हैं भीर बिहार और पश्चिमी बगाल के बीच में हैं। ऐसे सग डो को सुनझाने के सिलसिलें में भाप को ओर से कदम उठाए जाने चाहिए भीर भापस में भगडों को सुनझा कर समझौना कराना चाहिए। इन अगडों के न निरटने के कारण बहुन मारी योजनाए खटाई में पडी हुई हैं जैमा कि दामादर बैली का सवाल है। दामोदर बैली के सवाल को ले कर भाज बिहार और पश्चिम बगाल में बहुन सारे मत भेद हैं। इमलिए मेंगा निवेदन यह है कि इन मतभेदों को दूर बरा दामोदर बैली के पानी और बिजनी वा सही दग से उपयोग होना चाहिए जिस में दोनों प्रदेशों को फायदा पहच मां।

दम रे बाद में यह कहना चाहना ह कि जन सम्पद्म की आमकी कोई नीति नहीं है। इपलिए मैं यह चहुम कि पानी को आपको राष्ट्रीय सम्पदा करार देना चाहिए। राज्यों न विवादों पर हम हमें गा इस बान की वरावर माग नरों रहे कि बेल्डीय सवी मडन वा इस के भार में मोजना चाहिए ले कन अभी नर उन न इस के वार में काई ब्यान नया दिया है और पानी को राष्ट्रीय राग्या नहीं घोषित किया है लेकिन अभी जा यह पश्चात हुई है यह अच्छी प्रदार है और स्वागत-प्राप्य ह और द्वार जा राज्या की वा महाड़े ह अन्यों भी सुन्याम असा चाहिए।

इपी काष्य माय म यह चाहूंगा कि नेराज सकार विसास भी समझीता करना चाहिए ग्रोप वहा पर डेम बनाना चाहिए या कोई ग्रोर दूसरी स्कीम लागू वरनी चाहिए जिस्से उत्तर प्ररेग और बिहार की रक्षा हो मा। ग्राम ना बोड बनाया है उस का मारा करने व लिए दोना राज्यों को गयान प्रतिनिधित्व दिया है, यह एक अच्छी बान हे, लेकिन मैं यह चाहूगा कि नेपाल

[श्री काला मिश्र मधुतर]

सरकार के साथ भी कोई सनझौना करतें कोई स्कीम लागू करनी चाहिये जिस से उत्तर प्रदेश और विश्रार का कन्याग हो संत्रे। प्राज्ञ नो उत्तर प्रदेश घौर विश्रार हर साल बाढ़ से पोड़िन रहते हैं और उपने बबने के लिए घमी तक कोई भी स्कीन लागू नहीं की गई है । हर साल करोंड़ों नहीं घरनें का खर्ब सरकार का होता है लेकिन समन्या वैसी की वैनी बनी रहती है ।

मैं यह भी कहना चाहना हूं कि यह जो बोर्ड बनाया गया है यह एक मही बात है लेकिन इन बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डैम बनाने के बाद विस्थापितों की समस्या पैदा हो जाएगी और उस समस्या को हल करने के लिए इन बिन में कोई योजना नहीं है। इन बिन में विस्थापितों को बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए और दूमरी मुविधाएं देने के लिए, कुछ होना चाहिए था लेकिन वह नहीं है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जो जबाब देने समय इस के बारे में बनाएं।

इनके पान ही सान में या भी कड़ना चाहना हूं कि यह इन नेगों का अनुना है कि दुवरे गणों ने जहा पर ऐसी नवःगारं लागुर्वहै, बटा पर मनद्रों की समस्या ज्यो की त्यों पड़ी उन्हों है। गंडक योजना के ग्रन्थ भनदुरों ग्रीर बड़े बड़े प्रशासिता के बंच राहे होते होते है और उन प्राः ने वर्करं पार्टिसिरेशन इन मैनेतमेंट का निहाना फब्द कर लिश है नो क्या हर्द गा कि जो बोर्ड आर बता रहे है या जो एक्की स्टिन करेडी हो । उसरें कर्न-चारियों के प्रतिनिधिता न दें निमके जिंग् वे लोग मन्त्रा करने कि यह जो डैंग बन रहा है फ्रीण यह जो स्कीम बन रही है, यह देश के तिर है श्रीर

उसमें वे भी हाय बंटा रहे हैं। इस तरह मे एक प्रातिया की भावना पैदा होती बीर प्रच्छा काम करने की भावना पैदा होती। इन लिए इस बात का भी भापको ध्यान रखना चाहिए। जब इस तरह की कोई योजना लायू होती है खो उसमें समस्याएं उभर कर भाती हैं भीर सलिए उन को इसमें प्रतिनिधिस्य मिलना चाहिए।

एक बात क्यीर कहना चाहना है। कि आपको जल के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तय करनी चाहिए ग्रीर इसके बारे मं विवाद यहां रदा में होता चाहिए। मैं समझा हं कि भ्राः पूरी जल नीति का श्रभाव है भीर इस नीति का समाव इम्तिग्है कि जहां पर पूजी वाद व्यवस्था होनी है वहां पर ग्रानमान डेबलपर्नेट होता है। हमारे देश में भी पूंजीबादी ट्यवस्था रही है भीर ग्रनमान इंवलपरेंट राज्यों का हवा है। कुछ प्रदेश आगे बढ़ गए है और कु पिछड़ गए है। ्य हम एक सभाजनादो व्यवस्य। देश में लाना चाहते है तो एर राष्ट्री सीति तय की ंगती चाहिए और रारी जल सम्बद्ध को पूर्व राष्ट्र की सम्पदः मानना चाहिए और उसमे राज्यों के विधाद नी ग्राने चाहिए।

मै इम बिल का नर्ना करा हूं प्रोरपुर्नोर समर्था करना इ प्रीर चारना इ कि अन्य राज्यों के जल विवादा को भी जल्दी निष्टाना चाहिए। बिह्नार को रमध्य प्रदेश में गीन नदी के पानी के बटवारें का प्रश्न है। कुछ सहाधान को निकला निकित पूरा इहारामला हन नहीं हुना हैं। मै कोई रिकिएलिज्म के दृष्टिहीण से में यह नहीं कह रहा हूं तिकित यह जल्दर कहना चाहना हू कि इन बात पर ध्यान दिया जाए श्रीर राज्यों के जो शामनी संगडे हैं, उनको समाप्त किया जिए। इपलिए मैं यही वाहता हैं कि जेहा मजदूरों की समस्या हैं, विस्थापितों को बसाने की मगस्या हैं, भीर दूबरों सुधिधाएं देने की समस्या हैं, उनके बारे मे सरकार सोचे श्रीर जल नीति के बारे में सरकार क्या करने जा रही है, उसके बारे में यहा सदम में धास्वासन दे और इसरे राज्यों के जो जल निवाद पड़े हुए हैं, उन को मुलझाने के लिए सरकार क्या क्टन उठाने जा रहो है, असके बारे मे भी मरी जी जहा सदन मे ब राए।

इत शब्दों के माथ में इस विल का समर्थन करता ह।

गा गोबिल बास रिखारिया (वामी) मैं इप बिल का समर्थेन करता हू। साथ साथ नगरत मरकार को बद्याई वेता हुं स्रोर माथ सिचाई विभाग के श्रीधानियों को बधाई देना ह कि उन्होंने इस बिल को यहा लोह सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। निश्चित तीर से भाग ना दि। स्वतव भारत के इतिहा। मे एर बड़ा पुन चोर महत्वपूर्ग दित है। बहुत ५६ ले भारत सरकार ने एक महत्व-पूर्ण कार किया था और उसकी पूर्ति की ग्रोरएक ग्रीर वद श्राज उसने बढया है बहुत दिना में चेनी चर रही थी कि निदरों के विवाट चतने रहते है, पाी बहना जाना है स्रोर उसके कारण मे र्भाम सुद्री र॰नी है उन पानी वा कोई लाभ नही उठारा जाता है। लेकिन ग्राज उसकी श्रोर एक बढम बढाया गया है। भारा सरकार ने-ा प्रदेशों के विगद को तय करने के निए एक बोर्ड का गठन सम्बद्धी विल यहा किया है। इसके शिए दोनो प्रदेशा के मुख्य मत्री भीर खास तीर पर हमार

प्रदेश के उस समय के मुख्य मंत्री श्री कमनापनि विपाठी की सराहना मी कानी **च**रिये जिन्होने मरी धूप में उस वाटड क्षेत्र का दीरा किया भीर राज्य ट स्यन पर पहुचे और इन योजना का जिलान्यास प्रधान मत्रो जी द्वारा कराया। शार वह योजना फलफुर रही है भीर एक महत्वपूर्ण क्दम उपभ्रोर उठाया जा रहा है।

Board Bill

मैं यह याद दिलाना चाहना है ि राष्ट्रपति जी ने इन वर्ष के प्रपने मिशिया में खाप तौर से इप बार का िक किया था कि नदिया के विवाद तय करना एक महत्वपूर्ण काम है। उस मीर इन निन को पेग करके भाग्त सरकार ने तथा उक्ते सिचाई यत्रालय ने एक कदा बढावा है

यह योजना उस क्षेत्र क लिए, वहा की जनना ५ लिए बहुत महत्व रखती है। वहा जमीन बहुत है लेकिन माबादी कम है । वहा मिचाई के लिए पानी उपलब्ध होने म जो उत्पादन मे बृद्धि होगी उस से खाद्यान्न की जो समस्या है उसको हल करने में यांग मिल संस्या।

में भारको यह भी याद दिलाना चाहता हुकि यह वह क्षेत्र है जहां 1857 म्बतव्रता ग्रान्दोलन मं काति संगठित की गर्र है ग्रोर महारानी लक्ष्मी बाई व नेतृत्व म उप्त क्षेत्र ने ग्रयणी बन कर उप मे भाग रियाथा । नहार जो निवासी हैं, जो किमान ह, जो गरीव नाग है उनक लिए यह योजना मुखदायी होगी, उननो धाराम देगी, उस म बोई शक नहीं है।

क्छ बाते है जिनको तरफ मैं आरपका ध्यान दिलाना चाहूगा । कुछ टैक्नी-कन बाते इस बिल में है जिनकी वजह से

[डा॰ गंविन्द दास रिछारिया]

हो सकता है कि इस योजना को कार्या-न्यित करने में विलन्त्र हो जाए। उनकी तरक ब्रागका व्यान जाना चाहिये। पहले चार ने प्राप्ते यह कहा है:

> "बहु उन तारोब को प्रवृत्त होगा जिले के द्रीय सरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सरकारों से परामर्श करके, राज उन में प्रक्षियूवना द्वारा निवन करे।"

मेरा निवेदन है कि यह बिल पास हो जाने के बाद गजेंड में जल्दी प्रकाशित हो। ऐसा न हो कि इम के प्रकाशन में देर लगे और उसकी बजह से यह काम कता पड़ा रहे।

मागे भापने कहा है कि एक कार्य-कारिगी समिति बनाई जाएगी और उसको को उन्ना है वह भी गजेट में प्रकाणित की जाएगी । थे जो टैक्नीकल बाते हैं इनको तरक विशेष ध्नान देने की प्रावण्यकता है। ऐमा न हो कि यह महत्वपूर्ण योजना टैक्नीकल बातों में फम कर विलम्ब में कार्यान्वित हो।

निधि जो आप मुकरंग करेगे उस के लिए आपने व्यवस्था कर रखी है कि उस निधि में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से पैसा आप को लेता है। अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बजट लगा विधान सभाओं में पेश हो चुंते है और पाम होने वाल है। चुकि आपने इस बिल को पास कराने में देशों की है इस वास्ते हों मकता है कि उन सरकारों न अपने बजटा में पैसा न रबा हो। मेरा निवेदन है कि जो पमा मिचाई मवालय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हैने वाला है उस में में उतना हो हाया काट कर क अपने बजट में पाने हों हाया काट कर क अपने बजट में पाने हाया काट कर क अपने बजट में पाने हाया काट कर के अपने बजट में पाने हाया काट कर विभाग कार्यकारिया हो उन हो हाया काट कर दे नाकि कहीं

ऐसा न हो कि इस बिल के पास होने के बाद भी उत्तर प्रदेश और मध्य अदेश की सरकारें कहें कि आश्का बिल देर से पास हुआ है, हम अश्ने बजटों में पैसा नहीं रख पाएं हैं, और इस कारण से काम श्रामें न बढ़ में ।

राजवाट के मुख्य इजीनियर तथा अन्य इंजीनियरों की जो नियुक्ति करणी है, उस मामले में भी धाप विशेष सतकंता बरतें, उस काम में भी धाप देरी न होने दें। आप देखें कि इस काम में किसी प्रकार का विलम्ब न हो।

इस बिल के भाखिर में यह टिप्पणी दी गई है कि दोनो मुख्य मंत्रियो का एग्रीमेंट 1972 में हमा था। 1972 में वह एकीमेंट होने के बाद मत्री महोदय का ग्राज 30 मार्च, 1976 को यह बिल लोक सभा मे पेश कर सके है। मैं मत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हु कि वह ६म विश्रय में मनकं रहे कि इस बिल के पास होने के बाद कही इन टेक्सीकल बातें के कारण भीर न हो जांब सीर इस महत्रपूर्ण योजना को भीन्न कार्यान्त्रित न किया जा सरे। 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अग इस पच दर्पीत योजना में सिचाई को बढाना है। जिस योजना क सबध मे प्रधान मली जी ने स्वयं दिलचस्पी ली थी ग्रीर दोनों न उद प्रतियों के सामने उस का शिलान्यास किया था. मत्री महोदय इस बात का ध्यान रखें कि उस में आगे और बिलम्ब न ही और इस काम को युद्ध स्तर पर किया जांथ ।

इस नदी में पानी बहुत है और वहां जमीन भी बहुत हैं। वहा सिचाई होने से बहुत गतले का उत्पादन होगा और इस प्रकार राष्ट्र के विकास उत्तर प्रदेश के विकास और खाद्य समस्या को हल करने मंबहत सदद सिलेगी! इस विश का समर्थन करते हुए मैं सिवाई मैंसी, उप सिवाई मंत्री, केश्वारनाम सिंह, भीर मंत्रालय के प्रधिकारियों को इस बारे में सहयोग देने के लिए धन्यबाद देता हूं भीर सन का प्रभिनन्डब करता हूं।

भी नामू राम महिरवार (टी हमगड़)! श्राध्यक्ष महोदय, में देश्या नदी बोर्ड विश्वेयक का हुटम में सर्मयन करना हं। हम देखते मा रहे हैं कि इले विशाल क्षेत्र सें बनीन वडी हुई है, नदी में वानी बह रहा है, लेकिन किसान भूकों मर रहे है। इनिष्यानी वे दिख्ती की नरफ़ मश्रद्दी के लिए भागते है, या इसरे श्रेत्रों में फपप काट कर मजदूरी शने के लिए जाते हैं। विवाह न दोने और भयं कर सरी वी होने के कारण वह क्षेत्र पिछले बीन पण्यीप नायों से डाक्यों ग्रन्त रहा है। वहां ज्यादा ग्रही होने सीर लोगों के पास कोई शबा न ोने के कारण उन क्षेत्र मे आहा बनते रहे भीर सोग स्टने रहे।

सरकार ने यह कार्य कर के वहां की
जनना को धाशीशेंद दिया है धोर जन
लोगों के लिए यह एक बड़ा मुभ सबसर है।
मैं केन्द्रीय सरकार को इस लिए घी ध-यबाद
देना चाहना हूं कि उस ने पहनी बार हस्तकों कर के दोनों पदेशों की मनना के हित में यह
घन्छा कदम उठाया है।

ह्मारा विछ ना अनुभा यह रहा है कि
मध्य प्रदेश की सीभा पर कितने भी बांध
बने, उन के मम्बन्ध में मध्य प्रदेश हमेशा
घाटे में रहा । जब रिहंद बांध बना, तो
यह एग्रीमेंट हुपा कि 15 परमेंट बिजली
मध्य प्रदेश हो मिले कि किन आप ताज्जुब
करेंगे कि पहनी पंच-वर्षीय योजना मे
वने हुए उम बाध ने मध्य प्रदेश को एक यूनिट
बिजली भी नहीं मिलती है। जब माता-

टीला बांब बनामा गया, तो महब प्रदेश के 22 गांव बुब मये। उन मार्वी के लोगों की वहां से हृशया गया, उन के मकान वर्वाद हुए और उन को समीन भी नहीं मिली । यह तय हुआ। था कि उन बांध से जेगीरेट होने वाली विजली का 33 परसेंट मध्य प्रदेश को विया अधेना है लेकिन ऊर्मा मंत्री ने ज्वाब देते हुए बताया कि अभी तक मध्य प्रदेश की बिहतुल बिल्ली नहीं । गई है। यह एक बहुत ब्रक्तभोस की बात रही है। ब्रब केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप कर के दोनों सरकाों में समझीता करा दिया है। यह बड़े संतीष की बात है कि दोनों शरकारों के बापस के मतभेद दूर ो गये और इस क्षेत्र की जनता के कल्यान के लिए स योजना को प्रारम्भ करना संभव ो गया है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ़ विलाना भाहता हूं कि राजधार से कुछ दूर, जहां स समय बांध बनाने जा रहे हैं, पंचमहल एक गांव है, जिस के पास नदी के दोनों तरफ़ पक्की पहाडी है भीर एक प्राकृतिक बाध बना हुआ है । वहा का सर्वेक्षण हो चुका है और जीनि-यरों ने रिपोर्ट ी है कि अगर यह बांध वहा पर बनाया ज'ता, तो मवर्नमेट को छ: करोड़ रुपये का फायदा होता । जो प्राप मिट्टी का दस किलोमीटर लम्बा बाध बनाने जा रहे हैं वह नहीं बनाना पहेंगा और उस में 6 कोड रुपये जी लगने वाले हैं वह बच जाएगे। उस से कैनाल बनाने मे ग्रीर दूभरे कामो मे मदद मिल ज में गी नो अभी नो केवल मकान और बंगले ही बने है, नाम तो अभी गुल नही हुआ है। अभी द्याप उम नर्वेक्षण की रिोर्ट मंगा से स्रीर मारे कागजात मगा कर देखाले । अगर उस को करने में बाप को मुविधा हो तो वह बिशियाम् राम बाहिरकारे कि विकास FROM THE FOR THE TRACK IN THE **साप करें ।** े सुने(जो कानकारी: मिली: है बहुः से प्राप**ेकः सामने रक्क रहा** ह

and the following from first time.

the the the tent to the title the

🔻 : इस विधेयक .सें जो श्राप्य ने कंट्रोल सोई अप्त गठनः किया है उसे से मुंबो कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस में एक घारा 31 है श्विस में + यह लिखा है कि अगर कोई अधिकारी इन गुड केय कोई गलती करता 🤻 ो उस भर कोई मुनंदमा नहीं चलेगा। यगर युद्ध फेय की कोई परिभाषा तो हमें भारतम नहीं है । इंजीनियर लोग जो काम करते हैं उस में गड़बड़ी कुछ न कुछ सो **होती** ही है। मगर यदि शारेका सारा गड़बड़ हो जाय तब तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा । लेकिन एक तसस्त्री हमें है कि सबोर्ड के श्रध्यक्ष हमारे केन्द्र के सिचाई मंत्रों होंगे ग्रीर इस में दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री होंगे, साथ ही बड़े जिन्मेदार पदाधिकारी इस में होंगे, तो मलती कम् होने की गुंजाइश है और जो गुलती होगा उसे गुड फेय हम मान सकते हैं।

सभी एक माननीय सदस्य उधर से बोल पहें ये तो उन्होंने कहा कि हमारे बांध का फैंसला नहीं हो पा रहा है क्योंकि मध्य-श्रदेश ग्रीर उत्तर प्रदेश के साथ समझीता नहीं हो पारहा है। मेरायह निवेदन है कि बाणसागर योजना केवल विहार सरकार के हामीन भरने की वत्रह से खटाई में पड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार श्रीर मध्य प्रदेश सरकार दोनों राजी है लेकिन बिहार सरकार हामी नहीं भर रही है धौर बह कहते हैं कि हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं इसलिए वह खटाई में पड़ी है, जब कि नेनका इस से कोई ज्यादा संबंध नहीं है । बहु-नी जिस पर बांध बनना है उसका पानी तो दूसरी तरफ जाना है।

THE HER TO BE WORD TO THE STATE OF सेकिन उस की इव में मुक्ति सोन सही वहरी 🕾 है 🗽 इसलिए ः मह 🖫 उसका 🖫 🛒 को लगते हैं। असी हमारी विधात समा में हमारे प्रदेश के समुद्राय मंत्री, ने इप बात ह्या एलान किया है । . . (अयववान) . . माप माने मृत्य मृद्धी से कहिए कि वह हां भइँ तो मोजा। चाल ही जाएगी।

\$ 7 - 7 French ं यह जो निधेयक पेश हुआ है उस से इस देश की जनता को काफी लाभ होने बाला है। इस से शिवपुरी भीर टीकमगढ जिले के बहुत बड़े हिस्से को काफी लाभ पहुंचने बाला है। इसके प्रसादा आंसी जिले मौर गुना के इलाके को लाभ पहुंचने बाबा है। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि उन में क्रुंबर नहीं खोदा जा सकता है स्योंकि पूरी जमीत में पत्यर हैं भीर यहां नदियों में पानी है जिस से सिचाई के लिए पानी मिल सकता

माताटीला से आगे बेतवा नदी पर को पारीछा बांध बना हुमा है पानी जाता है वह पानी मध्य प्रदेश को बिल्कुल नहीं मिलता । उस का बंदबारा ठीक तरह से नहीं हुआ है । जमीन सारी मध्य प्रदेश की डूबी है। गुरसराय, कैनाल मध्य प्रदेश के गांवों से हो कर गई है उस के दोनों तरक खेत मूख रहे हैं ग्रीर उस का पानी भ्रागेजा कर उत्तर प्रदेश के गांवों को मिलता है। इस तरह का बटवारा भ्रच्छा नहीं है। एक ही प्रदेश के दोनों भाग हैं और नदी मध्य प्रदेश से बह कर गई है, कैनाल वहां से वह कर जाती है लेकिन पानी नहीं मिलता है। सरकार को इस बात के ऊपर फिर से सोचना चाहिए।

भभी बेतवानदी पर एक रोड का पुल बनाथा। वह पूज 1965 में बन कर तैयार हो गया था । उस पर 31 लाख

स्पया . ज़ना . या । सीर उस में केन्द्रीम सरकार, उत्तर प्रदेश संरकार और मध्य प्रदेश सरकार तीनों पैसा लगा जी यातायात है। जब राज बहादुर में बी थे तो यह तय हुआ था भीर उन्होंने एलान किया था कि इस पुल पर टोल टैक्स लगाया जायगा भीर जितना इस पर खर्च हुमा है वह जब वसूल हो जायगातो टोल टैक्स की बसूली बन्द कर दी जायगी। मैं ने हिसाब लगाया है , अब तक करीब 45 लाख रुपया वसूल हो चुका है **भीर व**हस।रेका सारा पैसा न केन्द्र को मिला, न मध्य प्रदेश को मिला, मोले उत्तर प्रदेश को मिला यहंबना थाकि केवल एक तरफ से 5 रुपए 62 पैसे जो बस जाएगी उस को वैना पड़ेगा लेकिन उससे दोनों तरफ से लेते ये भीर ग्रन पहली फरवरी से 20 रुपया प्रतिबस प्रति ट्रिप कर दिया है। इस तरह से दोनों तरफ से 40 रुपया हों गया है भीर इस से करोड़ों रुपये वसूल हो जाएगे। मेरा यह कहना है कि जितनी लागत है उतना वसूल कर लिया तो श्चब टोल टैक्स बन्द कर देना चाहिए। जैसे झौर सरकारो ने कम किया है, मध्य प्रदेश नेकम किया है तो उनको भी करना चाहिए। जो यात्री बस में बैठ कर जाते हैं वे गरीब लोग हैं मीर बस वाले का तो कोई नुकसान नही है वह यात्रियों से वसूल कर लेगा, नुकमान तो यात्रियो को उठाना पड रहा है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करुंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार तक इस खबर को पहुंचा दें भीर यह मामला हल हो जाय तो बहुत भन्छा है । उस से मध्य प्रदेश भीर उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के रहने वालों का फायदा है।

यह जो बांध बन रहा है इस में इंजीनियरों नेजी मेहनत की है उस के लिए वह बधाई में पाल हैं। बधाई के पान हमारे कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने देश के तैमाम ग्रन्तर्राज्यीय विवादों को मुनदाने का प्रयास किया भीर उस में मक्तरंता भी प्राप्त की ।

इत शब्दों के साथ मैं इम विधेयक का हृदय से समर्थन करना हू।

श्री शिवनाय सिंह (शुशुनू): प्रध्यक्ष जी, बेतवा नदी के पानी का सदुपयोग हो, जिन राज्यों में से उस नदी का प्रवाह है उन राज्य सरकारो के भाषसी झगड़े सामने न म्रायें, राष्ट्र के हित में काम हो---इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह बिल यहां पर लाया गया है। इस सदन में काफी समय से मांग हो रही थी की पानी पर केन्द्र का नियंत्रण हो। पानी या तो हिमालय पर्वत पर वर्फ मलने से निदयों के माध्यम से द्याता है या फिर वर्षा से भाता है । इस विस्तृत देश में किसी एक राज्य के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह पूरे पानी का सदुपयोग कर मके। नदियां उत्तर से दक्षिण भौर पूर्व से पश्चिम बहती हैं, एक राज्य की सीमा से होकर दूसरे राज्यों की सीमा में बहती हैं। ऐसी स्थिति में होना यह चाहिए कि इस पानी पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण हो ताकि जिन सेवों में पानी की झावश्यकता है वहा पर पानी पहुचाया जा संभ और जिन क्षेत्रों में पानी की बहुता-यत है वहां पर वह कोई मड़वन या बाधक न बने । इसी उद्देश्य को लेकर यह बिल यहां पर लाया गया है । मध्य प्रदेश भीर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस मोर एक ग्रन्छा कदम उठाया है, उन्होंने भपनी सद्भावना का परिचय दिया है। जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण पानी पर हो, इस सिद्धान्त को इस सें माना गया है जिस का स्पष्ट

[श्री शिवनाथ सिंह]

सकेत कला 18 में मिलता है। बिंद दोनो राज्यों के बीच कोई झगडा होगा तो उसकों केन्द्रीय सरकार के पास रेफर किया जायगा और केन्द्रीय सरकार का फैसला भतिम होगा। इन झगडों की क्यह से भयी तक इस देश को बहुत नुकसान उठानी पडा है। बहुत से भन्नर्राज्यीय झगडे इसी कारण सुलझ नहीं सक हैं। राजस्थान के कडाणा बाथ की योजना इसलिए ककी रही कि इस बात का निर्णय नहीं हा सका कि उसकी ऊचाई पाच फिट कम हो या धिषक हो। इसका नतीजा यह है कि जो योजनाये पहले आधी कोमत में पूरी हो जाती उन के लिए थाज दुगुनी कीमत लगानी पड रही है।

ष्मध्यक्ष जी. इस सिद्धान्त को इस मे माना गया है कि जिन राज्यों से होकर नदी बहरी है उन के बोर्ड बनाये जायें लेकिन में समझता हं कि जो सुखे प्रान्त है उनका भी प्रधिकार होना चाहिए। उदाहरण के लिए राजस्थान प्रान्त मे एक नदी बहती है, वह भ्या प्रान्त है लेकिन वहां की अमीन अच्छी है और वहा के लोग मेहनत करना चाहने है लेकिन वहा पर पानी की कमी है। ऐसी स्थिति में द्विमाचल प्रदेश. पजाब और उत्तर प्रदेश भादि राज्यो की जो नदिया है उन पर राजस्थान जैसे सुखे राज्य का भी अधिकार होना चाहिए, उनका भी उन नदियों के पानी में हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि उन मदियो का पानी केवल उन्ही प्रान्तो को मिले जहा से होकर वह नदिया बहती है। यह बान उचित नहीं है भौर न ही राष्ट्रीय हित मे है । म्रापने जो इस प्रवार से बोर्ड बनाने की व्यवस्था की है. इस मशा को आप आगे बढाये। सखेत्रान्तो को भी उसगे हिस्सा दें उनका प्रतिनिधित्व भी उन बोडों में होना चाहिए तभी वास्त्रकिक रूप मेखाप राष्ट्रीय हित की बात कर सकते हैं।

इस बिल मे तीन प्राविधान रखे गए हैं---एक बोर्ड बनेगा, एक्बीक्यूटिव कमेटी बनेगी भीर एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी । इन हे क्या फ़क्शस होगे. किस प्रकार से कार्य करेगे क्या मफलता मिलेगी, इसका पता तो बाद मे ही बल पायेगा स्योकि यह नथी स्कीम बनाई गई है । यह बोर्ड, कमेटीज और कौंसिल्म जो बनेगी वह ठीक द्वग से काम करेगी लेकिन मुझे एक शका मालम पडती है । इस बिल की धारा 19 मे मापने प्राविधान रखा है, हालाकि वह जरूरी है लेकिन भीर कही इस प्रकार का प्राविधान नहीं है ऐसी स्थिति में धनर एक प्राविधान एक जगह पर रखें भीर दसरी जगह पर नरखेती जकापदा होना स्वामाविक है कि यहा पर इसकी क्यो है। भापने किमी भी मकान रस्वागया मे एन्टीका प्राविधान रखा है। सभी तक जितन बाध बने है उन के सम्बन्ध मे भी सर्वे हमा होगा । भावने यहा पर स्पेशल प्राविजन रखकर, मैं समझना हु भ्रपने द्मधिकारों को लिमिट किया है. प्रकार मे उनका विस्तार नही कर रहे हैं। इस लिथे यदि इस प्रकार का प्रावधान ग्रन्थ प्रावधाना महै तो फिर इस को यहा पर रखने की प्रावश्यकता नहीं थी। इसके धनावा एक जरूरी प्रावधान था, जो इस म नही ग्रायन रखा । जो वहा के ग्राउम्टीज होगे उन की जिम्मेदारी किस पर किस प्रकार उनका रीसैदलमेन्टा स्रोगी होगा, किम प्रकार उनका मधावजा दिया जायगा । जब माप वहा पर बोर्ड बना रहे है और उसकी देख रेख में सारा काम करा रहे है, तो उन के उठाने का मधावजा देने का काम , मकानो का मधा-वजा देने का काम इस बोर्ड के जिस्से होना

वाहिया यह स्टेट गर्बनेयेन्ट को विश्लेवारी नहीं होनी चाहिया यह प्रावधान मुझे इस में कहीं नकर नहीं भाषा, मेरी वृष्टि में यह बहुत बड़ा लैक्ना है । धगर प्रापने ऐसा प्रावधान कहीं पर रबा हुआ है, तो मुझी बहुत खुशी होग्री, लेकिन नहीं रखा है तो प्राप इस वक्त भी ऐसा प्रावधान कर सकते हैं।

इन मन्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने इस अधिकार को और अधिक बढ़ाये। ताकि जो सूखे प्रान्त हैं, उन को दूसरे प्रान्तों के साथ बोर्ड बनाया जाय ताकि उन सूखे प्रान्तों को भी पानी को सुविधा मिल संह।

भी एसः एमः वन्त्री (कानपुर): ब्रध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। बहुत दिनों के बाद माज बुन्देलखण्ड के बारे में उन्होंने सोचने की कोशिंग की हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, काफ़ी बसँसे वृत्देलखण्ड से एक ही बावाज तठ रही थी -- स्या बुन्देलखण्ड का इलाका हमेका पिछड़ारहेगायाउस में कुछ ऐसे साधन मुहिया कियं जायेंगे जिससे उसका पिछड़ापन दूर हो सहे। भ्राप वहां जाइये – मैं लिजितपुर या झांसी की बात नहीं कर रहा हूं वे बड़े क्षेत्र हैं, या ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े लोग रहते हैं, मैं तो वहां के गांवों की बात कह रहा हूं, जहां गरीबी छाई हुई है, अनको ऐसे परिवार है जिन को दो वक्त खाना भी नसीव नहीं होता है, । इस सदन में जब भी इन बातों को लाने की कोशिश की गई, तो एक ही उम्मीद की लहर नजर द्याती थी--वह थी--वेतवा नदी । हम हमेशा से यहां चाहते थे कि उस पर कोई ऐसा बांध बने जिस से उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंच सके। यह मसला दो राज्य-सरकारों-- उत्तर प्रदेश भीर मध्य प्रदेश-के बीच में बहुत दिनों तक चल रहा था।

लेकिन में नहीं समझता या कि इस तरी हे से इतने सुचार ढंग से यह मसला हल हो जायेगा । अब यह मसला हल हो गया है । मैं समझता हूं कि माताटीला की बात जी मेरे उधर के मित्र ते की है-- माताटीला से जितने गांव उजड़े हैं, मैंने खुद वहां जा कर देखा है --- उन को मुभावजा नहीं मिला है। ग्रगर मिला भी हैतो नहीं के बराबर मिला है । मगर माताटीला बांध से मध्यप्रदेश को कोई फ़ायदा नहीं हुमा है, तो मुझे मालूम है ---बुन्देल-खण्ड को उस से ज्यादा फायदा कहीं सुखवाभीर दुखवाबांध से हुआ, है, जब कि माताटीला पर करोड़ों रुप खन हुए हैं। वहांपर जो पत्यर लगा हुआ है कि उस पर कितना खर्च हुन्ना है, उसको बार बार पोंछ कर लिखा गया है कि उस पर इतने करांड़ रुपये खर्च हुआ है और अभी भी मालुम नहीं भन्त तक उस पर कितना अवर्च हुआ है । उस से जो फायदा होना था, वह बुन्देलखण्ड को नहीं हुमा ।

ग्रव इस विल के पास होने के बाद जो बोर्ड बनेगा,जिस में उत्तर प्रदेश ग्रीर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे, मैं चाहता हूं कि इस इलाके के जो सदस्यगण हैं, चाहे पालियामेन्ट के मैन्बर हों या एम०एल०ए० हों, उन को उस में रखा जाय, क्योंकि हमेशा से वे कोशिश करते आये हैं, आहे झांसी से चुने गये हों या किसी दूसरी जगह से चुने गये हों, कि किसी तरह से बुन्देलखण्ड का पिछड़ापन दूर हो। उस बोड में वजाय इस के कि दोनों मुख्य मंत्री ग्रीर कुछ प्रकसरान हों, उस में वहां के चुने हुए नमाइन्दों को भी रखने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे, मैं खास तौर से श्री केदार नाथ सिंह जी से कहरहा हूं, क्यों कि के

[औ एस॰ एम॰ बन्जी]

उत्तर प्रदेश के यहने बाले है। भीर उत्तर प्रदेश का होने के नाते उन्होंने बुन्देलखण्ड के धर्मकर पिछडेनन को देखा होगा। मैं सब भी कहना चाहता ह कि साज इस बिल के पास होने के बाद एक नई भाशाकी लहर वहा के लोगों में दौडेंगी भीर वह सोचेगे कि हमारे खेने को सिचाई के लिए पानी इससे मिलेगा। अगर वहा का यह पिछड़ापन दूर हो जाय तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति मे फर्क था जाय, स्थोकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जिनक रेवेन्यू से ही पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, बरना वहा एक तरका बलिया धौर प्राचमगढ जैसे इलाके है जन से भी मयंकर पिछडापन बुन्देलखण्ड में है। मेरे मिल से ठीक कहा कि डाक्घो का जन्म कैसे हुमा ? ग्राप देखे कि चम्बल की रेबोन्स में डाक्यों का जन्म पदाइश से नही हुआ, बल्कि मूख और प्यास ने उन्तो डाकु बनादिया। ग्रौर ग्रब भी उस इला हे मे डाकमो का वह डर नही रहा क्योंकि मैं खुद लिितपूर गया, झासी से। लोगो मे कहा कि आप जा रहे हैं कुछ लोगो को साथ ले जाइये। मैंने कहा कि मेरे पाम क्या है, बहुत होगा तो घडी ले लेगे, भश्यातो कोई लेगा नहीं। तो वहापर कोई इस वक्त डर नही है। भीर भगर यह पिछडापन दूर हो जाय तो वही डाक जो झाज टाक कहलाते है, शहर व प्रच्छे नार्गाक बन जाये। मेकिन उस के कारे में मैं कुछ भाग्वासन मन्नी महोदय चाहता हू। यह नहीं कहता कि बटवारा हो जाय, मैं इस बात की मानने वाला ह कि कोई झगडा नहां रहना चाहि?, लेकिन कही एसान हो कि बह पिछड़ा इलाका बुन्देलखण्ड का जिसके भासूची से बेतवा नदी मे पानी है उस पर राजबाट के नाम म जो बांध बनाना है, कहीं ऐसा न हो कि उस का ज्याक्ष हिस्सा

किसी ऐसे गांव में जनार नाय जिसे में पिछड़ा-पनं नहीं चाहे वह गांव उत्तर प्रदेश कर हो ग्रीर चाहे मध्य प्रदेश का। इसिनयें मंत्री महोदय ग्राश्वासन दें इस का! जो फायदा होगा उस से बुन्देलखंड भी! हालस को सुद्यारा जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय की बघाई देना चाहता हू भीर साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रीर मध्य प्रदेश के मुख्य मिलयों को भी बधाई देता हुं और माशा करता हं कि उन में मापस में मेल मिलाप रहेगा । प्रध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कोई डिसप्यट होता है तो उसका सेन्टर तय करे। लेकिन डिमप्यूट क्यों हो। भ्रापम में कोई डिसप्यट नहीं होना चाहिए, और न होगा ग्रगर यह भावना हो जाय तो जिस पवित्र बेतवा जल के लिए लोग परेशान है उस से लोग खुगहाल हो जायेगे। इसलिये धापस में कोई झगडा नहीं होना चाहिये। भीर मै निषेदन करना चाहता ह कि बन्देलखर के और मध्य प्रदेश के पिछडे पन को ध्यान मे रखते हुए आपस मे तमाम झगडे तय होने चाहिये । जिस सद्भावना मे हम इस बिल को यहा पास करना चाहते हैं उसी सद्भावना से आगे भी चले यही मेरी कामना है।

श्री शिश्युष्य (दिक्षण दिल्ली):
श्रध्यक्ष जी मैं इस बिल का समर्थंन करता
हू, श्रीर जैसा माननीय बनर्जी ने कहा है
कि बुन्देनखण्ड का जो पिछडा इलाका है
उसमे कुछ शाशा की नई लहर श्रायेगी, इसका
भी मैं समयन करता हू । साथ ही मैं
बनर्जी साहब की इस बात का भी समर्थन
करता हू कि जो बोर्ड बन रहा है तो 20
सूत्री प्रोग्राम के शाधार पर चुने हुए
नुमाइन्दो का कम से कम कुछ तो ह्याल
रखना चाहिये। इस दृष्टि से श्रगर उस

लाक के एमा भी पार की बी बार वींड में रका जाता तो बहुत अपना होता । भव भी जन की देवा जा सकता है , इस में कोई हेर नहीं हुई है ा तो माननीय बतर्जी साहब की इस सिफारिश का मैं समर्थन करता है।

माननीय बनर्जी साहब ने जो यह बात कही कि गरीबी की बजह से डाक् पैटा होते हैं, मैं इस को नहीं मानता। महलों में जो मामन्तवाद के की है पनप रहे हैं उन की बजत से बाहु पैश होते हैं जितने भी हथियार डाकुमों को उम इलाके में दिये जाते रहे हैं वह कभी ग्वालियर के महल से मिले, कभी किमी भीर रजवाड़े से मिले। भगर उस क्षेत्र से सामन्तराट समाध्य हो जाये तो ठारू भागको उत्र इनके में नबर मही भावेंगे। बडी-बड़ी बिरादरी के लीग प्रानी मुझें पर ताव देने के लिये और उन के पी वे वलने वाले जो अपने को आगंत्र रेन का कहते हैं, वही लीग इत डाकुओं में हैं। मैं भी उत इताके का रहने वाला हंइपलिए वहांकी परि-स्यितियों से अच्छी तरह परिचित्त है। अगर वहां डाकू लोग डाका डालने हैं तो जाने बक्त जेवरात वह अपने साथ ले जाते हैं भ्रोर बरनन हरियन के घर रब जाते हैं। स्रोर वे बेहार में उड़ा कर ले जाते हैं ग्रीर ग्रगर कहीं पहड़े गयेतीमार खाएँ इत तरह से उन इताके में बहुत पिछड़ा। न है स्रोर मैं यह समन्ता कियड मार्गत भ्रोर नात-नार्गत रेल की बात खत्म करदी अरु। हरिजनों को भीकी व में लिया जाए, पुलित में लिया जाए । वे बहादर हैं, उन के सीने भी उतने ही चीड़े हैं जितने कि दूसरे लोगों के और गुन्देल बंड के लोग बहुत म अबूत हैं, यह मैं जानता है। ग्रार ऐवा होगा तो उ इलाके में डाकू नहीं रह सकते लेकिन उन को भारमा को कचोंटा जाता है और उन को पीता जाता है।

अन्यक्ष महोदय : यब बेतवा नदी के पानी के बटवारे पर बाह्ए।

भी श्रीवा भूवन : बेतना के हारे में में यह कहना चाहता है कि यह एक मानवता का प्रश्न या और इस की हुल किया गया। मैं कहना नाहता हूं कि बुनियादी तौर पर सामन्तवाद के खिलाफ बीस सुत्री कार्यक्रम में हम ने पहली बार अपने प्रजातंत्र में फ्रेंच रैबोल्सन के बाद ऐसा हमला किया है बरना दूनिया की डेमी-कें भी न ने सामन्तवाद के साथ समझौता किया हमा है। मेरा कहना तो यही है कि बेतवा के पानी से डाकू नहीं खत्म होंगे बरिक सामस्त-वाद को खत्म करने से ही वे खत्म होंगे।

यह खुनी को बात है कि बु० पी० ग्रीर सहय प्रदेश में यह समझीता हमा है वैसे मैं यह जानता है कि यु० पी० स्रोर मध्य प्रदेश के लोग पेरोकियल नहीं हैं भीर वे प्रान्तीयता को मानने वाले नहीं हैं भीर उन का भाषस में झगड़ा नहीं है। मेरा दोनों प्रान्तों से सम्बन्ध रहा है, इपलिए में इस के बारे में जानता हूं लेकिन इस क्षेत्र में घोर भी बड़ो बड़ी समस्याएँ हैं जैसे कि नर्मश का प्रोजेक्ट है। उस से राजस्वान तक पानी जाने की सम्भावना है लेकित वह वर्षों से पड़ा हुया है ग्रीर उन की हल करने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कमीशन बना दिया जाता हैं भीर उत्त में रिटायर्ड जन को बैठा दिया जाता है ग्रीर वह कभी फैपला जल्दी नहीं करता ग्रगर नर्मशका फीवजा कुठ झसे पहले हो गया ोता, तो मैं समझता हं कि राजस्यान, गुल्यात यार मध्य प्रदेग, इन तीनों को नाकी फायदा होता, नेकित वह माज में वैसा ही पड़ा हुमा है स्रोरल का इसाहै। मुख्य मंत्रियों की मीटिगें होता है लेकिन भागला तय नहीं हो पाता। इसके लिए पालियामें की कमेटी बननो चाहिए मोर फीरन फैपला होना चाहिए। इस को रिटायर्ड जन नहीं कर सक्ता है। उनको तो समय पूरा करना होता है। आप ने जो कशीगत को बजाए बोई बनाया है, यह अञ्लो भुरुमात की है। यह अञ्ला ोता कि इस में बाप एम० पी अभीर उस इलाके

[थी शशि भूषण]

के लोगों को भी रखते! भगर ऐसा हो तो फैनला जत्दी हो सकता है। बीत-सूत्री कार्यक्रम भीर खासतीर से इन्जेंगी में जो ये सब काम हो रहे हैं, तो अच्छो बात है लेकिन जो पानी के भीर मसले पहे हुए हैं उन की तरफ की सरकार को फीरन ध्यान देना चाहिए। एक शइम-बाक्तम्ड चीज होनी चाहिए कि नर्मटा के बिबाद का फैनला फचां समब तक हो जाएगा। हुक्म देने में हम कों कज़्मी करते हैं। इमजेंगी में हमने देखा है कि किन्दुस्तान की जनता हुक्म को मानना चाहती है लेकिन हम हुक्म देने में कज़्मी करते है। इसलिए भगर सरकार जल्दी फैनला देगी तो बे इस को मानेगे।

एक चीन भीर कहता चाहता ह वैसे वह इम से सम्बन्धित नहीं है। यहा पर परिवहन मंत्री जी बैठे हए है। निध्यों के जरिये से या नहीं के जरिये से जो नेविगेशन होती है उस को हम ने हमेशा छोडा है। कई पालियामटरी कमेटीज बनी भीर उन की रिपोर्टन भाई से किन उन पर हम ने कभी ध्यान नही दिया। नेविगेशन मे ५ परमेट डी बन का गुर्न हाता है भौर उस में मामान ब्राजानी में लाया भार में जाया जा सकता है। ग्रागर नविगेशन को बढावा मिलना है ता एस में इलात बरेने शहर बढ़ेगे जैसे कि आप देखने है कि पार्शन-पुत्र भीर दूनरे बडे शहर नदिश की वजर स पढे है। उस तरफ कम ध्यान दिया गया है। गृषि के साथ निवाई जुड़ी हुई नै ना यह भी उन के साथ आराए। निध्या वा प्रक्त भो उमार साथ जाए या किए वह भी स्राप टा ना द ही कि। यह जो प्रलग म्रलग मामना चन रहा है यह ठीर नहीं है। भ्राप बेनवा का प्लान कर रहे है। कल पाता निद्नी नदिया से इस को मिलना है। यह बाध प्राना हो जाएगा । इमलिए पन्ले गही गादी र स्नर पर मना मर्वे होता चाहिए बुछ हो न् मा है, बहुत दिन पहले हमा था लेकिन यह नःफी नहीं है और इस दिशा में काम होना चाहिए । इस विक का मैं समर्थन करना हूं लेकिन साथ ही यह भी कहना वाहता हूं कि नमेंका योजना का फैसना वहन जरही होना चाहिए है वह इक्षाका बहुन पिठडा हुआ है। उन का फैथना जरही होने से भीर बाध बनने में मध्य प्रदेश भो भागे बढ सकेगा और सामन्तवाद ना खारमा हो नाएगा।

न शब्दों के माथ मैं ममाप्त करता हूँ।

12 55 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Subject to the rule, the Board may appoint sura officers and employees as it may deem nacessary for the efficient discharge of its functions.

फिर अविवाद करा है --

The Board shall, as far as practicable utilist the services of the officers and employees offered by the Government of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in such a manner that equal representation is given to the two States

The terms and conditions of service of the officers and employees of the Board shall be such as may be determined by regulations."

बोर्ड क्या करेगा ? बोर्ड सरिविसिज के रूट य क्यायेगा या रेगुनेशंन बनायेगा, क्या करेगा ? समें आपने यह भी कहा है कि वह सरिविसित अक्वायर करेगा । इपका इपमे त्रोविजो है । ये जो कानून बनते हैं उनका कुछ मकनव होता है। इप कानन का मकमद क्या है, आप इस कानून ने आधार पर जो काम करने जा रहे हैं, वह इसमे कुछ स्पेसिफाई नहीं है । कौन-सी तारी व से बोर्ड काम करेगा यह कुछ साफ नहीं होना। मनी जो ने इनको भारी सेक्संन तो जकर पढ़ी होगी । सेनशन 2 र को आप देखे। इममें निखा है—

"The Board may, with the previous approval of the Central Government, make regulations not inconsistent with this Act and the rules for enabling it to discharge its functions under this Act."

क्या भ्रापने इपके लिए बोर्ड को कोई गाइड-लाइन्य दे है या नही ? ऐसे कानून बनाने का क्या फ यदा ? वोर्ड कब रेगुलेशन बनायेगा तो सेन्ट्रल गर्वामें? को एटबाइ देनी पटेगी। यह एडवाइक भ्राप सिथ बक्त देगे ?

हर मेनशन में एर बात है कि वोर्ड जो नानून बभायेगा उसमें नीकर रखने के नाम को इस्प्लोमेट करने के लिये भी नियम बनायेगा • भीर सारे के सारे कानून बनाने में वह मेन्द्र न गवर्नमेट से कसल्ट करेगा । इपमें रिप्ने तेटे-स कैसे होगा, इजंनियमं कीन में होगे ? मञ्च प्रदेश के इत्रोनियमें लगाये जायेथे या उत्तर प्रदेश के लगाये जाये । झकाउटेंट उत्तरप्रदेश का होगा या मध्य प्रदेश का होगा? इस बारे में इसमें कुठ नहीं है।

13 01 hrs.

मेरे विवाद में इस बोर्ड के जो काम करने काती हो होगा वह लम्बा होगा। इसमें झाप कही पर भो बना दीजिए कि यह हो कि बोर्ड इस प्रकार काम करेगा और इस प्रकार काम करायेगा। काम करने के लिये कीन क्मिदार होगा? बोर्ड क्या करेगा यह स्पष्ट नहीं है।

"Subject to the rules, the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

You say 'one or more', for what purpose' What will be the object of the Advisory Committee' नानून क्या बनना ह भगवान जान। किननी होगे, किम उद्वेष्य के लिए बनाई जाएँगी, कठ पता नहीं।

Coming to Clause 9, it says

'Subject to the rules " Who will frame these rules? It goes on to say.

"the Board may from time to time, constitute one or more Advisory Committees to assist the Board and the Executive Committee in the efficient discharge of their functions"

एडवाइ गरो कमेडोन की जा राय होगी, वह बाइडिंग होगी या नहीं ? बोर्ड क्या नाम करेगा ? क्या ग 9(1) में किस प्रकार में प्राफित्स मुकर्र किए अधि, कोई रास्ता नहीं बनाया गया है।

श्री मूल चन्द डागा

Clause 11(iii) says:

"that the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh shall extend full cooperation to the Board and shall in particular make available to the Board the land and electric power required by it for construction pulposes as expeditiously as possible."

यह का कल है ? किस तरह से यह होगा ।

किन शर्तों पर प्रम्ल करें। इस कानून की

बनाने में पत्नी महोदय का क्या उद्देश्य है पता

नहीं चलता हैं। किचाई का बांध बन जाएगा

और का की मंि विचित्र हो जायगो लेकिन

कितने वर्ग लगें। ? क्या इस पर उन्होंने

काला विभाग भिडाया है ?

What is the power of the Roard?

"Without prejudice to the generality of the foregoing revision, such power shall include the powers—

(a) to acquire, hold and dispose of such properties..

भ्रगर लैंड एक्वायर करना है तो

I say that it should be acquired under the Land Acquisition Act. क्या उसके लिए प्रलग रूप बनेगं?

What does clause 17 says? It says

"In the discharge of its fonctions, the Board shall be guided by such directions and instructions on questions of policy as may be given in it by the Central Government".

य क्या डायरेक्शन होते ? को डंबभने के पहल डायरेक्शन रृतू हुए है या नहीं हुए है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please We are discussing, I think, the first stage—the principle—and we do discuss the clauses at this stage; we discuss them at the next stage You can speak on clauses at that stage.

SHRI M. C. DAGA: All right, Sir. 1 am telling you as to how the Board will tunction.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are clause by clause as if you are discussing every clause.

भी मूलकार बागा में यह कहना चाहता हू कि बोर्ड फवशन कैसे कर सकेगा, उसकी क्या पावजें हैं, बोर्ड कब तक काम पूरा कर लेवा, कैसे कर लेका, कुछ पता नहीं। जो भामकी इण ग है वह इस बिल से पूरी नहीं होयों। इभसे समय की भीर पैसे की बरबादी होयी।

श्री केवार नाथ सिंह 'उराध्यक्ष महोवय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहुन में भाग निया है अनको मैं सब में पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भभी मिश्रों ने इस बहुन में भाग चाहता हूं। हमारे भभी मिश्रों ने इस बहुन को हूं ये से स्वागत किया है। कुछ शाय भो कुछ मिरों के व्यक्त की है। मैं कोशिश कवगा कि उन शंकाओं का माजान कर सहू। मंजुकर जी ने इस बिल पर बोचने हुं, कुछ बुनियादी मवाल उठाए है। अन्होंने वहा है कि पानों के बारे में हमारो राष्ट्रीय तीति क्या है। उन्होंने अत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों भी बहार के अत्तरी भागा में जो बादों के कारण मकट झाना है समी बोरे में भा पुछ सवार उठाए है। हा शंकि ने इस बिल के बाहर है।

जै। कि झाप को मानूस है, नेपाल सरतार में बारचंत चल रही है। एक बहुत हार्ट-रावर्ड डेरोगेशन वहर गया था, झोर कुछ मसता पर इतवेस्टीगेशन करना तय हो गया था। राज्य, घावरा खोर शारदा नदियो पर कुछ हो गया है।

माननीय सदस्य ने कहा कि नदिशों के जन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषिन करना चाहिए। इस विवय में सरकार की तरफ से काकी कोकिए को उड़ी है। केकित चूकि इंड-बारे में बास्किट में राज्य सरका रें ने राप केले हैं, इपलिए उन को महमति की मकरी है। में मानक्षय सहस्यों से यह बास्क करना कि यह राज्य सरका में पर क्याब डार्स कि "हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें।

भी प्रहिरवार ने कहा कि जहां इन वक्त बांध वत रहा है, वह भुनासिक जगह हीं है, बल्कि धगर इससे तीन चार किलोमीटर कपर बांध बनता, तो शायद कुछ के से का कायदा हो जाता । मैं समझता हूं कि हमारे इक्तिकल साथियो, दोनों राज्यों के इंजीनियरों धौर बुँद्रेल वाटर एष्ट्र पांचर कमोधन, ने इस पर काथी चौर किया, इनकेडिलोसन किया, ब्रॉर वह जगह मुनासिव नहीं पाई गई है इस-किए बेतका गड़ी पर जहां स वक्त कांध बन रहा है, बही मुनासिव जगह पाई गई है 1

इस बोर्ड की स्थानना नयों हो उड़ी है ? इस देश में यह पहला बोर्ड बनने जा रहा है। इस 🗣 कुछ कारण हैं। स बांध का ज्यादातर हिस्सा मिट्टी का होगा भीर बोडा सा हिस्सा मैसवदी का होगा । इस का बाधा भाग मध्य प्रवेश मे है भीर भाषा भाग उत्तर प्रदेश मे है। इस जिए धगर उन प्रदेशों की सरकारों श्रलग श्रलग बनाती, तो सम्भव था कि यह बाध न बन पाता । सक्रिए इस बोर्ड सी स्यापना की भावश्यकता हुई । यह बोर्ड एक हाई-पावडं बोडं है, जिस की श्रष्टयक्षता एग्रीकल्चर एण्ड इरिंगेशन मिनिस्टर करेंगे। उस में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री, विसा मंत्री और सिचाई मंत्री होगे । इस हाई-पावर्ड बोर्ड के सामने ये सब मसले भावेंगे कि पानी का उपयोग कैसे हो ।

श्री डागा ने कई भागतियां की हैं। उन की शंका है कि शायद यह बोर्ड नहीं चल पायेगा मैं भागवासन देना चाहता हूं कि यह बोर्ड कंस्ट्रकान के लिए, भीर देस के बाद बेंनडेवेंस के लिए हैं, भीर वह भपने करन बनायेगा, 102 LS—8 सीर उन रूट के मुनानिक प्रश्नाहकरी क्रमेद्धित बनेंबी । यूकि यह बोर्ड एक क्रम्मिक्स बीर्ड नहीं है, सिलए उस को टैक्नीकल राय सीर मस्वरा सेना पड़ेगा । सपने टैक्नीकल नो-हाळ से कैसे सहायण लें, इसके लिए एडवाइनरी कमेटी बनानी पड़ेंगी । एक; दो या तीन, जितनी भी जकरी होवे, उतनी क्रमेदिया बनेगी, लेकिन सी या प्रशास की संख्या से न ककी क्रमेदिया बनी हैं सीद म बनाने की सावश्यकता महसूस होवी ।

श्री मिन भूवण ने इस बिल का स्वागत किया है भीर उन्होंने इस विषय में कोई आपहिंद नहीं की है। भी जनमीं के कहा है कि एडवाइयरी कमेटी में उ । इलाके के लोक सम्रा के सबस्य भी रहें। तो यह समाल आयेगा कि विधान सभा भीर जिला परिषदों के सदस्य भी कहेंगे कि उन को भी रखा जाये।

श्री क्रमार सिम 'ममुकर' जो लोग विस्थापित जि, उन के रीहै विलिडेशन के बारे ये सरकार ने क्या सोचा है ? बाध पर काम करने वाले मजदूरों की जी समस्यायें "दा होंगी, उन का समाधान कैसे हो सकेगा ?

श्री खेदार नाथ सिंहु: मैं समझता हूं कि जो मुख्य मंत्री हमारे है दोनो प्रदेशों के यह जनता के ही नेता हैं भीर उन के यहां के से सारे मसले हुल हो जायेंगे।

उन्होंने जो रिहै बिलिटेशन का सवास उठामा वह भी इसी बोर्ड के सामने जायपा भीर बोर्ड तय करेगा कि कितना मुख्यावजा विया जायचा, कहा बसाया जायगा ! सारे बसले उस के सामने जारेंगे ! वह इतना बड़ा कोरम होना कि कोई भी मसना भाएगा ती उस के सामने रखा जायगा, वह तय करेगा भीर अंबर बह बोर्ड नहीं तय कर पाएका तो आखीर में बह कन्द्रीय सरकार के समिन्ने उ.येगा भीर केन्द्रीय सरकार का फैडला अन्तिम होगा, दोनों सरकाों के लिए वह मान्य होगा ।

Lielwa River

मारे दोस्तों ने जो इस बिल का समर्थन किया है उस के लिए मैं उन को हृदय से धन्यवाद देशा हूं और आशा करता हूं कि वह इस के स्प्लीमैटेंगन में भी हमारे साथ सहयोग-करेंगे!

भी नटपर लाल पटेल (मेहसाना): मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बनाया कि जल को देश को सम्पत्ति बनाने के लिए स्टैट गर्बं नमेंट्स से भाप पूछ रहे हैं। मैं भाप से यह जानना चाहता हूं कि ये सारी बातों पिछले तीन सालों से चल रही हैं, स्टैट गर्बनें मेंट वाले भगर इस का विरोध करते हैं..... (ध्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is outside the scope of this Bill. He just referred to it by the way. It is not part of the Bill. Because some members had raised that point, we just referred to it.

SHRI SHIVNATH SINGH: This is the principle involved in the Bill.

SHRI NATWARLAL PATEL: This is a matter of co-operation among State Governments. Let us know which are the State Governments which are not co-operating. This matter has been going on for the last three years.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is a much bigger question. But if he wants to answer, he may.

SHRI KEDAR NATH SINGH: Although, as you have observed, it is not part of the Bill, as I have already mentioned. State Covernments are be-

ing consulted on this issue. Ultimately we come to Parliament to take its sanction. Then we will have to go to the State Governments to take their agreement. Suppose they decide not to agree, then we shall be in difficulty. We are considering all this and we are taking necessary steps and we hope State Governments will also take the same view.

SHRI NATWARLAL PATEL: The question is very simple.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That usenough. The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of a Board for the creation of a reservoir at Rajghat by construction, on behalf of the Governments of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, of a dam on the Betwa river at Rajghat and for the regulation of such reservoir, be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up clause by clause consideration. The question is:

"That clauses 2 to 24, the Schedule and clause 1 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 to 24, the schedule and clause 1 were added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment Made:

Page 1, line 1,—for "Twenty-sixth" substitute "Twenty-seventh". (1)

(Shri Kedar Nath Singh)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was aded to the Bill.

166

The Title was added to the Bill

SHRI KEDAR NATH SINGH: beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed "

MR DEPUTY-SPEAKER The ques-

"That the Bill, as amended, be passed"

The Motion was adopted

13.15 hrs.

INDIAN STANDARDS INSTITUTION (CERTIFICATION MARKS) AMEND-MENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B MAURYA) Sir, I beg to move

That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

The ISI (Certification Marks) Amendment Bill, 1976 was considered and passed by the Rayya Sabha on the 10th March 1976 The Committee on Subordinate Legislation, while scrutinising the Indian Standards Institu tion (Certification Marks) Amendment Regulations 1968 noticed that though the regulations provide for the levy of tees for the grant or renewal of any licence which have the effect of impos ing a financial burden, they are not required to be laid before both Houses of Parliament and hence they recommended that the regulations should be so laid This Bill, therefore amends the ISI (Certification Marks) Act to achieve this object

In amending the Act for this purpose, sub-section (4) of Section 20 of the Act has been deleted, and a new section 22 has been inserted The new section 22 clearly provides for the laying of the rules and regulation framed under the Act to be laid on the Tables of the two Houses of Parlia-

Secondly, clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been deleted and the words, "and may also provide for the levy of fees for the grant or renewal of any licence" have been added at the end of sub section (2) of section 21 This has been done to empower expressly the Indian Standards Institution to make regulations the levy of fees for the grant or renewal of any licence under the ISI (Certification Marks) Act, 1952 This amendment does not involve any new provision in the Act The provision already existing against clause (e) of sub-section (2) of section 20 has been omitted and it has been added at the end of sub-section (2) of section 21 Sir, I beg to move that the Bill be taken up for consideration

MR DEPUTY-SPEAKER This is only to enjoin that regulations should be laid on the Table of the House What are you going to say, I thought you should welcome a measure of this kind

Motion moved

'That the Bill further to amend the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration '

DR SARADISH ROY (Bolpur) have a few observations to make This Bill has been introduced in accordance with the recommendations of the Sub ordinate Legislation Committee of this House In a report of the Fourth Lok Sabha presented on 16th December, 1970 to this House the Committee says

The ISI is not precluded from making regulations for prescribing fees, such regulations are not in con sonance with the spirit and scheme of section 21 of the principal Act Even otherwise, the Committee feels, that fees for grant of licences